FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0087 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/05/2024 19:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 16/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/05/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/05/2024 19:57:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 3 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SALASAR DARBAR TEA STAL, BIKAENAR ROAD NAGAUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BASHEER KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GULAB KHAN KAYAMKHANI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MEDHTA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MEDHTA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9462422441

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UMMED SINGH		पिता:SHIVSINGH	1. VILAGE GOTAN,MERTA CITY,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA
2	SHUBHM GAHLOT		पिता:JAY NARAYAN GAHLOT	1. NAYA DARWAJA,NAGAUR,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि दो हजार रूपये	2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर (राज0) विषय - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के लिपिक उम्मेद को रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं बशीर खान पुत्र श्री गुलाब खां जाति कायमखानी उम्र 48 वर्ष निवासी मेड़ता सिटी, नागौर का रहने वाला हूं। मैं वर्तमान में रा0प्रा0वि0 थला की ढाणी, रेण में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। मेरी 18 वर्ष की सेवा वर्ष 2023 में पूर्ण हो चुकी है। मेरी ACP (चयनित वेतनमान) लगनी थी जिस पर मैंने लिपिक उम्मेद से अपने काम के लिये दो-तीन बार मिला तो लिपिक ने मेरे से 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 15.05.24 प्रार्थी एसडी बशीर खान बशीर खान अध्यापक, पुत्र श्री गुलाब खां, निवासी मेड़ता 9462422441 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 15.05.2024 को वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री बशीर खान पुत्र श्री गुलाब खां, जाति कायमखानी, उम्र 48 वर्ष, निवासी मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल अध्यापक, रा0 प्रा0 वि0, थला की ढाणी, रेण, जिला नागौर उपस्थित कार्यालय आया व एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं बशीर खान पुत्र श्री गुलाब खां जाति कायमखानी उम्र 48 वर्ष निवासी मेड़ता सिटी, नागौर का रहने वाला हूं। मैं वर्तमान में रा0प्रा0वि0 थला की ढाणी, रेण में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। मेरी 18 वर्ष की सेवा वर्ष 2023 में पूर्ण हो चुकी है। मेरी ACP (चयनित वेतनमान) लगनी थी जिस पर मैंने लिपिक उम्मेद से अपने काम के लिये दो-तीन बार मिला तो लिपिक ने मेरे से 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे वाजिब काम के बदले रिश्वत देना नहीं चाहता हूं। लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन कर उससे मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं अध्यापक हूं। मेरे 18 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण होने के उपरान्त एसीपी लगवाने के लिए मैं श्री उम्मेद लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर से मिला तो उसने मेरे एसीपी आदेश करवाने के लिए रिश्वत की मांग की है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जानें पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड कार्यालय आलमारी में से निकाल कर परिवादी श्री बशीर खान को उसे ऑपरेट करनें की समझाईस की गई तथा उसे समझाया की वह श्री उम्मेद लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री नेमीचन्द कानिस्टेबल नम्बर 405 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जानें की हिदायत कर वक्त 12.35 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि. नम्बर 405 एवं परिवादी श्री बशीर खान को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड देकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर के लिए रवाना किया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। वक्त 02.00 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि. नम्बर 405 एवं परिवादी श्री बशीर खान के उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी श्री बशीर खान ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम मेरी निजी कार से रवाना होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर पहूंचे जहां पर कार्यालय के सामने कानि0 नेमीचन्द ने टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया जिस पर मैं श्री उम्मेद लिपिक से मिलने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर के अन्दर गया, जहां मुझे श्री उम्मेद लिपिक मिला, जिससे मैंने मेरे एसीपी लगवाने के संबंध में बातचीत की तो कहा कि शाम को बात करेंगे। श्री उम्मेद लिपिक मेरे से रिश्वत लेना चाहता है मगर अभी उसने पूरी बात नहीं की। इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके कानि0 श्री नेमीचन्द को टेप रिकॉर्डर बन्द करके दे दिया। इसके बाद हम दोनो वहां से रवाना उपस्थित आये हैं। इसके पश्चात श्री नेमीचन्द कानि. 405 ने परिवादी के उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी व आरोपी के मध्य कार्य से संबंधित वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। रिश्वती मांग करना नहीं पाया गया। जिस पर परिवादी को आरोपी के बतायेनुसार शाम को मिलने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। जिस पर वक्त 05.45 पी.एम. पर परिवादी श्री बशीर खान पुत्र श्री गुलाब खां, जाति कायमखानी, उम्र 48 वर्ष, निवासी मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल अध्यापक, रा0 प्रा0 वि0, थलां की ढाणी, रेण, जिला नागौर कार्यालय हाजा में उपस्थित आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया

कि मैंने श्री उम्मेद लिपिक को फोन किया मगर उसने रिसिव नहीं किया। पता किया तो ज्ञात हुआ कि उम्मेद लिपिक गांव चला गया है, आज नहीं मिलेगा। जिस पर परिवादी श्री बशीर खान को आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 16.05.2024 को वक्त 10.50 ए.एम. पर परिवादी श्री बशीर खान पुत्र श्री गुलाब खां, जाति कायमखानी, उम्र 48 वर्ष, निवासी मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल अध्यापक, रा0 प्रा0 वि0, थलां की ढाणी, रेण, जिला नागौर उपस्थित कार्यालय आया और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज श्री उम्मेद लिपिक कार्यालय में उपस्थित है आज उससे वार्ता हो सकती है, जिस पर श्री नेमीचन्द कानि0 405 को तलब कर परिवादी श्री बशीर खान व श्री नेमीचन्द कानि0 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर के लिए रवाना किया गया। वक्त 02.10 पी.एम. पर श्री नेमीचन्द कानि. नम्बर 405 एवं परिवादी श्री बशीर खान के उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी श्री बशीर खान ने बताया कि एसीबी चौकी नागौर से हम मेरी निजी कार से रवाना होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर पहूंचे, जहां पर कार्यालय के सामने कानि0 नेमीचन्द ने टेप रिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया, जिस पर मैं श्री उम्मेद लिपिक से मिलने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर के अन्दर गया जहां मुझे श्री उम्मेद लिपिक मिला जिससे मैंने मेरे एसीपी लगवाने के संबंध में बातचीत की तो आरोपी मुझे कार्यालय के बाहर सालासर दरबार टी स्टाल पर लेकर गया और मेरे एसीपी आदेश करवाने के लिए 2,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की है जो आज शाम तक देने का बोला है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। जिस पर परिवादी को 2,000/- रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की हिदायत की गई तो परिवादी ने बताया कि पैसे मेरे पास उपलब्ध है। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की जाकर श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 को दो स्वतन्त्र गवाहो की तलबी हेतु कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर के नाम की तहरिर देकर कार्यालय कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री आशाराम गोरा पुत्र श्री खेमाराम गोरा, जाति जाट, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम खिदरपुरा, तहसील व पुलिस थाना परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर श्री सुरजाराम पुत्र श्री रेवन्तराम जाति मेघवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी भादूओं की ढाणी, तहसील व पुलिस थाना खींवसर, जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट गवाहान श्री आशाराम गोरा वरिष्ठ सहायक व श्री सुरजाराम, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर उन्होंने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बशीर खान को रिश्वत में दी जानें वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से 500-500 रूपये के 04 नोट कुल 2,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनका विवरण इस प्रकार हैं - 1. पांच सौ रूपये का एक नोट 1PN 953611, 2. पांच सौ रूपये का एक नोट 2RF 295766, 3. पांच सौ रूपये का एक नोट 0WP 054160, 4. पांच सौ रूपये का एक नोट 9WM 712273 तत्पश्चात् श्री कुमरेदान कानि0 नं0 194 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त सभी नोटों के दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री बशीर खान की जामा तलाशी गवाह श्री सुरजाराम से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्री कुमेरदान कानि0 से परिवादी के पहनी हुई जींस पेंट की दायीं जेब में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हुए रखवाये गये। परिवादी श्री बशीर खान को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल भी करें। दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा पुनः श्री कुमेरदान कानि0 से कार्यालय की अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्री कुमेरदान कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये। समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री बशीर खान को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा श्री कुमेरदान कानि0 नं0 194 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई।

वक्त 03.45 पी.एम. पर परिवादी श्री बशीर खान मय ट्रेप दल के सदस्य श्री नेमीचन्द कानि0 405 व श्री प्रेमाराम कानि0 218 को आवश्यक हिदायत कर जरिये परिवादी की निजी कार से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर को रवाना कर पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री आशाराम गोरा वरिष्ठ सहायक व श्री सुरजाराम, कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप दल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39, श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, श्री कानाराम कानि0 532 जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह नं0 355 मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी नागौर से रवाना होकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर पहुंचे, जहां सड़क पर एक साईड में दोनों वाहनों को खड़ा कर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर के अन्दर की तरफ रवाना कर श्री नेमीचन्द कानि0 व प्रेमाराम कानि0 को परिवादी के पिछे-पिछे रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर के आस पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ देर बाद परिवादी श्री बशीर खान व एक व्यक्ति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) नागौर से निकलकर सामने स्थित सालासर दरबार टी-स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर पर जाकर बैठते दिखाई दिए। वक्त 04.45 पी.एम. पर परिवादी श्री बशीर खान ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप दल के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास सालासर दरबार टी-स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर पहुंची एवं परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, इस पर परिवादी श्री बशीर खान नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री उम्मेद लिपिक से उनके कार्यालय में मिला और मेरे काम के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री उम्मेद लिपिक मुझे कार्यालय के बाहर सालासर दरबार टी-स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर पर ले गया तथा चाय पीने का ऑर्डर किया तथा मेरे कार्य से संबंधित वार्ता की तथा रिश्वत राशि मांगने पर मेरे द्वारा रिश्वत राशि जेब में से निकालकर उम्मेद लिपिक को देने लगा तो श्री उम्मेद लिपिक ने होटल पर बैठे व्यक्ति को अभिषेक नाम से पुकारकर अपने पास बुलाकर मुझे कहा कि यह रूपये इसको दे दो। जिस पर मैंने उक्त रिश्वत राशि 2000/- रूपये उम्मेद लिपिक के कहने पर होटल पर बैठे व्यक्ति को दे दी। उक्त व्यक्ति ने रिश्वत राशि 2000/- रूपये लेकर अपने पहनी हुई जींस पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये। उसके बाद मैंने आपको मोबाईल पर मिस कॉल करके रिश्वत लेने का ईशारा कर दिया तथा परिवादी ने अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि मेरे पास बैठा व्यक्ति ही श्री उम्मेद लिपिक है तथा जिस अभिषेक नाम के व्यक्ति को रिश्वत राशि के रूपये दिलवाये हैं, वो व्यक्ति सामने खड़ा है जिसने मेरे से अभी-अभी 2,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी जींस पेंट की दायीं जेब में रखे है। जिस पर परिवादी के पास बैठे व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए, उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री शिवसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी गोटन गांव, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), नागौर होना बताया तथा सामने खड़े व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री शुभम गहलोत पुत्र श्री जय नारायण गहलोत, जाति माली, उम्र 25 वर्ष, निवासी नया दरवाजा नागौर, हाल होटल मालिक, सालासर दरबार टी-स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री उम्मेद सिंह को शुभम गहलोत का नाम अभिषेक लेने का कारण पूछा तो बताया कि मैं हमेशा इसको अभिषेक नाम से ही पुकारता हूं, इसके असली नाम की मुझे जानकारी नहीं थी। जिस पर श्री उम्मेद सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी श्री बशीर खान से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी उम्मेद सिंह ने बताया कि मैंने श्री बशीर खान से कोई रिश्वत नहीं ली है, जिस पर पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तसल्ली पूर्वक पूछताछ की तो बताया कि मैंने श्री बशीर खान से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नहीं ली है, उसने अपनी मर्जी से 2,000/- रूपये मुझे देने चाहे जो मैंने होटल मालिक श्री शुभम गहलोत को दिलवाये है, जो शुभम गहलोत की जेब में है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शुभम गहलोत को परिवादी श्री बशीर खान से 2,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो बताया कि यह रूपये मैंने श्री उम्मेद सिंह जी के कहने पर लिये हैं जो मेरी होटल के सामने के कार्यालय में नौकरी करते हैं तथा अक्सर हमारी होटल पर ही चाय पीने आते हैं। मैंने उक्त रूपये लेकर मेरी जींस पेंट की दाहिनी जेब में रखे हैं, जो अभी भी मेरी जेब में है। आरोपी श्री उम्मेद सिंह व शुभम गहलोत के उक्त कथन पर परिवादी श्री बशीर खान ने स्वतः ही बताया कि दिनांक 15.05.2024 व आज दिनांक 16.05.2024 को मैं श्री उम्मेद सिंह से उनके कार्यालय में मिला तथा मेरे 18 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण होने पर एसीपी लगवाने के संबंध में बातचीत की तो एसीपी आदेश करवाने की एवज में 2,000/- रूपये रिश्वत राशि के देना तय हुआ, जो आज इनके कहेनुसार 2,000/- रूपये रिश्वत राशि मैंने अभी-अभी होटल मालिक शुभम गहलोत को दिये हैं, जिसने रूपये अपने दाहिनें हाथ में लेकर अपनी पहनी जींस पेंट की दाहिनी जेब में रख लिये थे, इसके बाद मैंने आपके मोबाईल पर मिस कॉल कर आपको ईशारा किया था। रिश्वत लेने की ताईद होने पर श्री शुभम गहलोत (प्राईवेट व्यक्ति) का दायां व बायां हाथ कलाई के उपर से मेरे निर्देश से क्रमश कानि0

श्री नेमीचन्द व श्री कानाराम से पकड़वाये गये। गवाह श्री सुरजाराम से आरोपी श्री शुभम गहलोत की जामा तलाशी लिरवाई गयी तो आरोपी के पहनी हुई जींस पेंट की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के नोट मिले, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री सुरजाराम के पास सुरक्षित रखवाये गये। (नोट - सालासर दरबार टी स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर पर आमजनो की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ ज्यादा होने से आरोपीगणों को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप दल के एसीबी चौकी नागौर लेकर पहुंची। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही चौकी कार्यालय में शुरू की गई।) तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी शुभम गहलोत के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी शुभम गहलोत के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी शुभम गहलोत के पहनने हेतु दूसरी पेंट की व्यवस्था कर पहनी हुई जींस पेंट को सम्मान पूर्वक उतरवाकर जींस पेंट की दाहिनी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जींस पेंट को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् गवाह श्री सुरजाराम के पास सुरक्षित रखवाये गये नोटों को गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 04 नोट कुल 2,000/- रूपये होना बताया तथा दोनो गवाहों से रिश्वती राशि 2,000/- रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो वही नोट हुबहू होना पाये गये। उपरोक्त सभी नोटो (2,000/- रूपये) को कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को कब्जा एसीबी ली गई। ताबाद आरोपी श्री उम्मेद सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी से परिवादी श्री बशीर खान के एसीपी लगवाने संबंधी कागजात के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री उम्मेद सिंह ने बताया कि श्री बशीर खान के एसीपी संबंधी आदेश तैयार कर हस्ताक्षर हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, जिन पर हस्ताक्षर होने शेष है। उपरोक्त सभी कागजात जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही है। परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन की रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वती लेन देन की पुष्टि होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री उम्मेद सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), नागौर द्वारा परिवादी श्री बशीर खान (अध्यापक) के 18 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण होने पर एसीपी (चयनित वेतनमान) के आदेश करवाने की एवज में आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 2,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 16.05.2024 को रिश्वत राशि 2,000/- रूपये कार्यालय के सामने स्थित सालासर दरबार टी स्टाल के मालिक (प्राईवेट व्यक्ति) श्री शुभम गहलोत को दिलवाने तथा आरोपी श्री शुभम गहलोत द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री शुभम गहलोत की जींस पेंट की दायीं जेब से बरामद होने पर आरोपीगण श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री शिवसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी गोटन गांव, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), नागौर व श्री शुभम गहलोत पुत्र श्री जय नारायण गहलोत, जाति माली, उम्र 25 वर्ष, निवासी नया दरवाजा नागौर, हाल होटल मालिक सालासर दरबार टी-स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर (प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं. का जुर्म प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने पर आरोपीगण श्री उम्मेद सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री शुभम गहलोत (प्राईवेट व्यक्ति) को उपरोक्त जुर्म से आगाह कर अपने संवैधानिक अधिकारो से अवगत करवाते हुए वक्त क्रमशः 06.15 पी.एम. व 06.30 पी.एम. पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर दोनों आरोपीगणों की फर्द गिरफ्तारी पृथक-पृथक मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज दिनांक 15.05.2024 व दिनांक 16.05.2024 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई काम से संबंधित वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं के दो पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ताओं के दोनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैली में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु

तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आईओ डीवीडी, पैन ड्राईव व सील्ड सुदा मैमोरी कार्ड गोपनीयता की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 16.05.2024 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के तीन पैन ड्राईव व एक डीवीडी पृथक-पृथक बनवाये गये। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर शील्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के तीनों पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैली में डालकर पृथक-पृथक शील्ड कर न्यायालय व दोनों आरोपीगणों हेतु तथा एक डीवीडी कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आईओ डीवीडी, पैन ड्राईव व सील्ड सुदा मैमोरी कार्ड गोपनीयता की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये। कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। ताबाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में बरामद रिश्वत राशि 2,000 /- रुपये, शील्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 तथा P, P-1, P-2, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग मूल मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, न्यायालय व आरोपी श्री उम्मेद सिंह हेतु रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के तीन पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व दोनों आरोपीगणों हेतु मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी श्री बशीर खान तथा स्वतंत्र गवाहान श्री आशाराम गोरा, वरिष्ठ सहायक व श्री सुरजाराम, कनिष्ठ सहायक को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री उम्मेद सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), नागौर द्वारा परिवादी श्री बशीर खान (अध्यापक) के 18 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण होने पर एसीपी (चयनित वेतनमान) के आदेश करवाने की एवज में आरोपी सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न 2,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, मांग के अनुसरण में दिनांक 16.05.2024 को रिश्वत राशि 2,000/- रूपये कार्यालय के सामने स्थित सालासर दरबार टी स्टाल के मालिक (प्राईवेट व्यक्ति) श्री शुभम गहलोत को दिलवाने तथा आरोपी श्री शुभम गहलोत द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने व उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री शुभम गहलोत की जींस पेंट की दायीं जेब से बरामद होने पर आरोपीगण श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री शिवसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी गोटन गांव, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), नागौर व श्री शुभम गहलोत पुत्र श्री जय नारायण गहलोत, जाति माली, उम्र 25 वर्ष, निवासी नया दरवाजा नागौर, हाल होटल मालिक सालासर दरबार टी-स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर (प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा.दं.सं. का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करनें हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1.श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री शिवसिंह, निवासी गोटन गांव, पुलिस थाना गोटन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक), नागौर एवं 2.श्री शुभम गहलोत पुत्र श्री जय नारायण गहलोत, निवासी नया दरवाजा नागौर, हाल होटल मालिक सालासर दरबार टी–स्टाल, बीकानेर रोड़, नागौर (प्राईवेट व्यक्ति)के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी तेजा राम पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नागौर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 267 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 433-36 दिनांक 17.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर-प्रथम। 2 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर। 3 उप-महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** TEJA RAM **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/05/2024 20:01:00

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्रक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/05/1976				
2	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)